



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय
Headquarters
पंचदीप भवन सी०आई०जी रोड, नई दिल्ली-110002
PANCHDEEP BHAWAN, C.I.G. MARG, NEW DELHI-110 002
Phone: 011-23604700 Email: dir-gen@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या: ए-40/12/NPS Circular and Advisory/2026-लेख-4

परिपत्र

विषय: सभी PAO द्वारा सब्सक्राइबर्स के सही PRAN में सही अंशदान (Contribution) जमा करने के संबंध में निर्देश।

उपर्युक्त विषय के अंतर्गत इस परिपत्र द्वारा आपका ध्यान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत अंशदान के सही जमा करने की ओर करना है, हाल ही में यह संज्ञान में आया है कि कुछ यूनिट्स द्वारा NPS अंशदान जमा करते समय Subscriber के PRAN और उनके अंशदान की राशि (Contribution Amount) में विसंगतियां/त्रुटियां हो रही इस कारण कर्मचारियों के पेंशन खाते में सही समय पर राशि क्रेडिट होने में अनावश्यक बाधा उत्पन्न हो रही है।

अतः, मुख्यालय द्वारा सभी यूनिट्स को कड़े निर्देश दिए जाते हैं कि:

- **सही PRAN की जाँच:** किसी भी सब्सक्राइबर का अंशदान अपलोड करने से पहले उनके PRAN कार्ड और रिकॉर्ड का भली-भांति मिलान कर लें, ताकि किसी अन्य खाते में राशि ट्रांसफर न हो।
- **सही अंशदान राशि:** कर्मचारी (Employee) और सरकार (Government) दोनों के अंशदान की गणना (Calculation) नियमानुसार बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। जिससे की कम या अधिक भुगतान न हो।

इस विषय को अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाए। भविष्य में इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलत ट्रांजैक्शन होने पर संबंधित यूनिट के प्रभारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

सयुक्त निदेशक

सेवा में,

1. सभी क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
2. सभी डीन / चिकित्सा अधीक्षक, कर्मचारी राज्य बीमा निगममहविद्यालय सह अस्पताल /अस्पताल
3. सभी निदेशक(प्रभारी)/सयुक्त निदेशक(प्रभारी)/उप निदेशक(प्रभारी), उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
4. निदेशक(चिकित्सा)अधीक्षक।
5. सभी उप निदेशक/सहायक निदेशक(वित्त), कर्मचारी राज्य बीमा निगम।
6. सयुक्त निदेशक, स्थापना-5, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय/रोकड़ शाखा वित्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय एवं लेखा शाखा-3, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय।
7. निदेशक, प्रशिक्षण अकादमी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम।